न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/190

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी विधवा चन्दा जी ।
2. रूकमणी पुत्री चन्दा जी ।
3. शंकरी पुत्री चन्दा जी ।
4. श्रीमती सीताबाई विधवा मन्ना जी ।
5. फूलचन्द दत्तक पुत्र मन्ना जी ।
6. कंचन विधवा काल्या उर्फ बाल्या जी ।
7. श्रीमती गोपी बाई विधवा श्री सत्यनारायण जी ।
8. सत्यदेव आत्मज श्री बृजमोहन जी ।
9. राममूर्ति पुत्री बृजमोहन जी ।
10. किशना बाई पुत्री बृजमोहन जी ।
11. विद्या बाई पुत्री बृजमोहन जी ।
12. चन्द्रकला विधवा बृजमोहन जी जाति भील निवासीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, जरिये मुख्तार आम शम्भूदयाल आत्मज स्व0 श्री सत्यानारायण जाति भील निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. शम्भूदयाल आत्मज स्व0 श्री सत्यनारायण जी निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोंडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल खसरा नम्बर 214 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 1.22 हैक्अर, खसरा नम्बर 224 रकबा 0.15 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 269 रकबा 0.41 हैक्टर कुल 08 किता की 6.09 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण क्रम 1 से 13 के नाम शामलाती रूप से गैर खातेदारी में दर्ज है जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादीगण के पूर्वज माधोजी वल्द छोटू जी भील थे जिन्हें तत्कालीन कोटा रियासत द्वारा माफी चारी सांसरी (Village Service Grant) के पेटे माफी भूमि प्रदान की गई जिसे माधो आत्मज छोटू जी माफीदार की हैसियत से निरन्तर काश्त करते रहे । राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनःग्रहण अधिनियम, 1952 में लागू होने के समय उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में माधो जी वल्द छोटूजी के नाम माफीदार की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड थी । माफी रिज्यूम होने के उपरान्त तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय सवंत् 2012 में वादीगण के पूर्वज माधो जी आत्मज छोटू जी माफीदार की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे । इस कारण माधो जी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनन बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन गये थे । भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने उक्त भूमि माधोजी के खातेदारी में दर्ज करने बजाये अवैध एवं गैर कानूनी रूप से गैर खातेदारी में दर्ज कर दी । जबकि कानूनन माधोजी उक्त भूमि के खातेदार कृषक हो गये हैं । वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं ।

3. अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे वादग्रस्त आराजी अपने–अपने दर्ज हिस्सानुसार संयुक्त रूप से खातेदार घोषित फरमाया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.2014 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.05.2014 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग के पत्र क्रमांक 4 (4) उप/91 दिनांक 04.07.2003 के अनुसार मास्टर प्लान के पेराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर खातेदारी सनद पर रोक है तथा 2007 के परिपत्र के अनुसार इन क्षेत्रों में खातेदारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से डीएलसी दर का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर ही दी जा सकती है । चूँकि वादग्रस्त आराजी ग्राम कंवरपुरा नगर निगम एंव मास्टर प्लान के अन्तर्गत आती है अतः 04.07.2003 के परिपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी दिया जाना नियम विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जो कि वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसमें से 5.78 हैक्टर आराजी पर रेस्पोडेन्ट वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.07.2003 के अनुसार मास्टर प्लान के पेराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर खातेदारी देने पर रोक है तथा 2007 के परिपत्र के अनुसार इन क्षेत्रों में खातेदारी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से डीएलसी दर का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर ही दी जा सकती है । चूँकि वादग्रस्त आराजी नगर निगम एंव मास्टर प्लान के अन्तर्गत आती है । अतः 04.07.2003 व 2007 के परिपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी दिया जाना नियम विरूद्ध है । परिपत्र वर्ष 2007 के अनुसार न तो राज्य सरकार से अनुमति ली गई है व न ही 20 प्रतिशत डीएलसी दर की राशि जमा करवायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राज्यहित के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार तूंग्या बेटा शंकर माफीदार दर्ज है। मुताबिक नकल जमाबन्दी संवत् प्रदर्श– 3 संवत् 2009 से 2011 के अनुसार वादग्रस्त आराजी माधो बेटा छोटू की माफी में दर्ज थी और उसमें दिनांक 19.02.1955 का नोट अंकित है कि माफी रिज्यूम हो चुकी है इसके उपरान्त भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा संवत् 2016 से 2024 की जमाबन्दी में माधो को गैर खातेदार दर्ज किया गया है । जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को खातेदारी से गैर खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । वादी के पूर्वज माधो जी सन् 1955 में ही माफी रिज्यूम होने पर खातेदार हो गये थे । भू–प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं था । पैराफेरी बेल्ट में खातेदारी अधिकार प्रदान करने सम्बन्धी परिपत्र वादी रेस्पोडेन्ट पर लागू नहीं होता है क्योंकि वादग्रस्त आराजी आवंटनशुदा नहीं है वरन् माधो जी के खातेदारी की है । एक माफीदार जब खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद आसजी में उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । प्रदर्श– 3 में जो नोट अंकित है उसके अनुसार माधो जी वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो गये थे । भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज की है । अपील में अपीलान्ट के द्वारा जिन परिपत्रों का हवाला दिया गया है वे वादीगण पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि उक्त परिपत्र राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट के तहत आवंटित भूमियों पर लगू होते हैं। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटितशुदा नहीं है वरन् उनके खाते की आराजी है जो सेटलमेंट विभाग के द्वारा गलत रूप से गैर खातेदारी में दर्ज की गई है । ऐसी स्थिति में यह सरकूलर वादग्रस्त आराजी पर लागू नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.05.2014 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी *2008 (1) पेज 151, आरबीजे (13) 2006 पेज 190, आरआरटी 2001 (1) पेज 244* उद्धरत की ।

9. पत्रावली पर एक प्रार्थना पत्र दिनाक 30.09.2015 द्वारा सुखपाल मीणा एंव अन्य बाबत् बनाये जाने पक्षकार संलग्न है । परन्तु प्रार्थी व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए दौराने बहस भी प्रार्थी अथवा उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः प्रार्थना पत्र बाबत् बनाये जाने पक्षकार खारिज किया जाता है ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर यह कथन किया है कि ग्राम कंवरपुरा की वादग्रस्त आराजी वादीगण क्रम 1 लगायत 13 के गैर खातेदारी में दर्ज है । वादीगण के पूर्वज माधोजी थे उनको माफी चाकरी सांसरी के पेटे संवत् 1992 में कुल 03 किता की 26 बीघा 10 बिस्वा आराजी माफी में प्रदान की गई थी जिस पर माधो आत्मज छोटू माफीदार की हैसियत से काबिज काश्त रहे । राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनःग्रहण अधिनियम, 1952 में लागू होने के समय उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में माधो जी वल्द छोटूजी के नाम माफीदार की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड थी । माफी रिज्यूम होने के उपरान्त तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय सवंत् 2012 में वादीगण के पूर्वज माधो जी आत्मज छोटू जी माफीदार की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे । इस कारण माधो जी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनन बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन गये हैं । संवत् 2016 से 2024 भू–प्रबन्ध के दौरान इस आराजी के नये नम्बर कायम किये गये और भू–प्रबन्ध विभाग ने खातेदारी के स्थान पर गलत रूप से गैर खातेदारी में दर्ज कर दी । माधोजी के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज की गई । वादग्रस्त आराजी के माधो और उसके उपरान्त वादीगण कानूनन खातेदार हो गये हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे ।

11. वादीगण ने दावे के साथ नकल जमाबन्दी 1989 से 1992 प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2005 से 2008 प्रदर्श– 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2009 से 2011 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2024 प्रदर्श– 5, नकल नामान्तरकरण संख्या 03 प्रदर्श–6, नकल नामान्तरकरण संख्या 08 प्रदर्श–7, नकल नामान्तरकरण संख्या 90 प्रदर्श– 8, नकल जमाबन्दी संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श–9, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 प्रदर्श–10, नकल जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श–11, मुख्तारनामे की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श–12 और प्रदर्श– 13 पेश किये गये हैं ।

12. बयान शम्भूदयाल कराये गये हैं परन्तु बयानों पर पीडब्ल्यू नम्बर नहीं है ।

13. वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 माफी चाकरी सांसरी की है और संवत् 1991 में माधो बेटा छोटू का नाम इंतकाल नम्बर 84 से माफीदार के रूप में दर्ज किया गया है। नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 में भी माफीदार के रूप में माधो बेटा छोटू दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 3 संवत् 2009 से 2011 में भी उक्त भूमि माफी चाकरी सांसरी में दर्ज है और माफीदार के रूप में माधो जी बेटा छोटू अंकित है और इसमें नोट दिनांक 19.02.1955 का अंकित है माधो माफीदार जीवित है माफी रिज्यूम हो चुकी है ।

14. वादी रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि माफी रिज्यूम हो जाने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ माधो जी एवं उसके वारिस वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके हैं, जबकि दिनांक 15.10.1955 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हो चुका है । इस अनिधियम की धारा 190 से 193 विलेज सर्विस ग्रान्ट से सम्बन्धित है । इस अधनियम की धारा 190 में यह अंकित किया गया है कि ग्राम सेवक का हित एक बार में ऐसी अवधि जो एक वर्ष से अधिक न हो के लिए शिकमी पट्टे पर देने के सिवाय अन्यथा दाय योग्य तथा अन्तरण योग्य नहीं होगा और धारा 190 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन ग्राम सेवक गैर

खातेदार काश्तकार समझा जावेगा । इस प्रकार माफी रिज्यूम होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से वादग्रस्त आराजी में माधो जी की हैसियत धारा 190 (2) के अनुसार गैर खातेदार की ही होगी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 193 के अनुसार यदि जिला कलक्टर यह घोषित कर दे कि उन सेवाओं की जो ग्राम सेवक करता है, आवश्यकता नहीं है तो ग्राम सेवक अपनी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो जावेगा और तद्नुसार लगान भुगतान कर सकेगा । परन्तु वादी ने कहीं भी अपने दावे में यह कथन नहीं किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 193 के तहत कोई आदेश जिला कलक्टर द्वारा पारित किया है और न ही जिला कलकटर का कोई ऐसा ओदश उनके द्वारा अपील में अथवा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और आरबीजे 2006 (13) पेज 190 को उद्धरत किया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि यदि विलेज सरवेन्ट धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है तो लगान की अदायगी करेगा और उसको सेवाओं के एवज में किसी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा । परन्तु इस धारा के तहत जिला कलक्टर के द्वारा जारी किये गये कोई आदेश न तो पत्रावली में पेश किये गये हैं और न ही वादीगण के द्वारा दावे में इस बाबत् कोई कथन किया गया है । इस प्रकार धारा 190 एवं 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं हैं ।

15. विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो नजीर आरबीजे 2006 (13) पेज 190 उद्धरत की है उसमें जिला कलक्टर, श्री गंगानगर के द्वारा धारा 193 के तहत आदेश जारी किये गये हैं जबकि इस प्रकरण में जिला कलक्टर का कोई आदेश पेश नहीं किया गया है । इस कारण यह नजीर इस प्रकार पर चस्पा नहीं होती है । चूँकि धारा 190 (2) के अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के गैर खातेदारी में ही दर्ज की जा सकती है । ऐसी स्थिति में धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जिला कलक्टर ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने क लिए सक्षम थे । चूँकि वादग्रस्त आराजी धारा 190 (2) के तहत सही रूप से गैर खातेदारी में दर्ज थी ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.10.2007 की अनुपालना भी अपेक्षित थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है । परीक्षण न्यायालय को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आरबीजे 2006 (1) पेज 190 अपने निर्णय में उद्धरत की है परन्तु उसकी अनुपालना सुनिश्चित किये बिना सरकार के हितों की अनदेखी करते हुए अपनी शक्तियों से परे जाकर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं जो उचित नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है और खारिज होने योग्य है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2014 निरस्त किया जाता है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पृष्ठ संख्या 5 में धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आरबीजे 2006 पृष्ठ संख्या 190 को हाई लाईट करते हुए उल्लेख किया है जिसमें स्पष्ट रूप से स्वयं ने वर्णित किया है कि यदि जिला कलक्टर यह घोषित कर दे कि सर्विस ग्रान्ट की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा ग्राम सेवक खातेदार कृषक हो जावेगा । यही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित किया गया है । ऐसी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पर भी कानून की अनदेखी कर

कोटा शहर के पास की कीमती 35 बीघा 05 बिस्वा आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये हैं जो अनियमितता की श्रेणी में आता है । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.10.2007 की भी अनदेखी कर राज्यहित के विपरीत अपनी शक्तियों से परे जाकर निर्णय पारित किया है । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर कोटा व राज्य सरकार को प्रेषित की जावे ।

17. निर्णय आज दिनांक 05.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - E

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/190

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थ

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी विधवा चन्दा जी ।
2. रूकमणी पुत्री चन्दा जी ।
3. शंकरी पुत्री चन्दा जी ।
4. श्रीमती सीताबाई विधवा मन्ना जी ।
5. फूलचन्द दत्तक पुत्र मन्ना जी ।
6. कंचन विधवा काल्या उर्फ बाल्या जी ।
7. श्रीमती गोपी बाई विधवा श्री सत्यनारायण जी ।
8. सत्यदेव आत्मज श्री बृजमोहन जी ।
9. राममूर्ति पुत्री बृजमोहन जी ।
10. किशना बाई पुत्री बृजमोहन जी ।
11. विद्या बाई पुत्री बृजमोहन जी ।
12. चन्द्रकला विधवा बृजमोहन जी जाति भील निवासीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिल कोटा, जरिये मुख्तार आम शम्भूदयाल आत्मज स्व0 श्री सत्यानारायण जाति भील निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. शम्भूदयाल आत्मज स्व0 श्री सत्यनारायण जी निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिल कोटा ।

——प्रत्यर्थ

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2014 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

द संख्याः 99/दावा/2012

1. श्रीमती कस्तूरी विधवा चन्दा जी ।
2. रूकमणी पुत्री चन्दा जी ।
3. शंकरी पुत्री चन्दा जी ।
4. श्रीमती सीताबाई विधवा मन्ना जी ।
5. फूलचन्द दत्तक पुत्र मन्ना जी ।
6. कंचन विधवा काल्या उर्फ बाल्या जी ।
7. श्रीमती गोपी बाई विधवा श्री सत्यनारायण जी ।
8. सत्यदेव आत्मज श्री बृजमोहन जी ।
9. राममूर्ति पुत्री बृजमोहन जी ।
10. किशना बाई पुत्री बृजमोहन जी ।
11. विद्या बाई पुत्री बृजमोहन जी ।
12. चन्द्रकला विधवा बृजमोहन जी जाति भील निवासीगण ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा, जरिये मुख्तार आम शम्भूदयाल आत्मज स्व0 श्री सत्यानारायण जाति भील निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. शम्भूदयाल आत्मज स्व0 श्री सत्यनारायण जी निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2014 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

यह अपील तारीख 05.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं श्री संजय शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2014 निरस्त किया जाता है । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पृष्ठ संख्या 5 में धारा 193 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आरबीजे 2006 पृष्ठ संख्या 190 को हाई लाईट करते हुए उल्लेख किया है जिसमें स्पष्ट रूप से स्वयं ने वर्णित किया है कि यदि जिला कलक्टर यह घोषित कर दे कि सर्विस ग्रान्ट की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा ग्राम सेवक खातेदार कृषक हो जावेगा । यही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित किया गया है । ऐसी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पर भी कानून की अनदेखी कर कोटा शहर के पास की कीमती 35 बीघा 05 बिस्वा आराजी पर खातेदारी अधिकार दिये हैं जो अनियमितता की श्रेणी में आता है । राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.10.2007 की भी अनदेखी कर राज्यहित के विपरीत अपनी शक्तियों से परे जाकर निर्णय पारित किया है । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर कोटा व राज्य सरकार को प्रेषित की जावे ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 05.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

5/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा